कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

कॉलेज रोड, डाईट परिसर, जिला डूँगरपुर (राज.)

E-Mail :- cdeodpr@gmail.com

क्रमांक :– मुजिशिअ / डूंगर / 2024–25 / 628 | दिनांक :– 02/12/24

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त ब्लॉक, जिला डूँगरपुर

विषय :– ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों मे डिजीटल एज्युकेशन उपकरण लगवाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् निदेशक राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पत्रांक : रास्कूशिप / जय / सीएसआर / SCR.COMM.MEET/ 3648 दिनांक 18.10.2024 एवं श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान निदेशक के पत्रांक द्वारा राज्य परियोजना निदेशक महोदय के एमओयू प्रोजेक्ट संख्या 001645 द्वारा श्री शिक्षण संस्थान द्वारा राजकीय विद्यालयो मे सहयोग और शिक्षा आपके द्वारा अभियान एसएडी परियोजना मे उपकरणो की स्थापना पश्चात् विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा नामित 2 शिक्षको को संस्थान के वॉलेटियर्स/ टेक्नीकल एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि वाले वॉलेटियर्स द्वारा विद्यालय में विद्यार्थी के डिजीटल अवेर्नेस हेतु प्रबोधन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत दिया जाएगा। जिसका समस्त व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त हेतु संस्थान के वॉलेटियर्स / टेक्नीकल एक्सपोर्ट को सहयोग प्रदान करावें।

(नवीन प्रकाश जैन)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला डूँगरपुर (राज.)

दिनांक :–

क्रमांक :– मुजिशिअ / डूंगर / 2025–26 /

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक राज्य परियोजना रास्कूलशिप जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर डूँगरपुर।
3. संबंधित संस्थान श्री शिक्षण संस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला डूँगरपुर (राज.)

Signature valid

Digitally signed by Navin Prakash Jain
Designation : District Education Officer
Date: 2024.12.02 16:02:12 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RISING RAJASTHAN

सहमति पत्र (Memorandum of Understanding)

आज दिनांक 30-10-2024 को यह आपसी सहमति पत्र निम्न के मध्यम/द्वारा श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान 327001 जिन्हें इस सहमति पत्र में प्रथम पत्र प्रन्यासी के रूप में सम्बोधित किया गया है और संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो प्रन्यास में समस्त प्रन्यास उत्तराधिकारी प्रन्यासी समनुदेर्शिती, प्रशासक और विधि के प्रतिनिधि सम्मिलित समझे जायेंगे।

एवं

स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जरिये राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वितीय तल, ब्लॉक नम्बर–5, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302015 द्वितीय पक्ष जिन्हें आगे इस सहमति पत्र में द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया है उसके समस्त उत्तराधिकारी– अधिकारी या समनुदेर्शिती, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो अथवा सम्मिलित समझे जायेंगे।

उद्देश्य

यह MOU पक्षों के बीच सहयोग और शिक्षा आपके द्वार अभियान–SAD परियोजना के लिए सहयोग की शर्तों को परिभाषित करने के लिए हुआ है।

शर्तें–

1. **सहयोग की अवधिः**– यह सहयोग 3 वर्ष के लिए वैध होगा। यह सहमति पत्र दोनों पक्षों के हस्ताक्षर से प्रभावी होगा। जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा (संख्या) दिनों की लिखित सूचना के साथ इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।
2. **उद्देश्यः**– पक्ष शिक्षा आपके द्वार अभियान–SAD डिजिटल एजुकेशन परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे।
3. **कार्य क्षेत्र या दायराः**– राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर जिलो के संस्था द्वारा चयनित 2520 प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में उपकरण स्थापना एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
4. **भूमिकाएं और जिम्मेदारियां**–

   प्रथम पक्ष श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान 327001 निम्न जिम्मेदारियों का वहन करेगा–

   1. प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन सम्बन्धित समस्त गतिविधियों की कार्ययोजना प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करना।
   2. प्रोजेक्ट की सम्पूर्ण कार्ययोजना तथा फील्ड में क्रियान्वयन की प्रगति से परिषद् को नियमित रूप से अवगत कराना आदि।
   3. स्वीकृत सीएसआर प्रोजेक्ट संख्या 01645 स्वीकृति क्रमांक 3648 दिनांक 18.10.2024 के अनुसार किया जावेगा तथा आगामी 3 वर्षों में राज्य के अन्य जिले राज्य परियोजना निदेशक से अनुमति पश्चात् संचालन किया जायेगा जिसकी अनुमानित लागत 22.17 करोड़ होगी।
   4. उपकरणों की स्थापना पश्चात् विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा नामित 2 शिक्षकों को संस्थान के वॉलेंटियर्स/टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा उक्त प्रशिक्षण में राजस्थान

Upadhyay
अध्यक्ष
श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान
जोलाना जिला–बांसवाड़ा

सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल नवाचार के अंतर्गत पीएम ई विद्या क्लास का प्रसारण, दीक्षा ऐप एवं अन्य विभागीय पोर्टल के संचालन एवं विभागीय कार्यों के संपादन की जानकारी एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा तथा संस्थान के प्रतिनिधि/वॉलेंटियर्स द्वारा विद्यार्थियों के डिजिटल अवेर्नेस हेतु प्रबोधन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत दिया जाएगा जिसका समस्त व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

➢ रूपरेखा निम्नानुसार रहेगी -

Trainning Programme				
SN	**Trainning Leval**	**No of Days**	**Trainner**	**Trainning Sector**
1	School Leval	2 Days	Foundation Volunteer and Technical Expert	Digital Education , Skills & PM e Vidhya Class , Awerness Programme for Education , Departmental Digital Initiative and the other portal regarding Trainning will be provided by Foundation Volunteers As per Requirement.
2	Peeo Leval	2 Days		
3	Block Leval	2 Days		
4	District Leval	1 Days		

➢ श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा उक्त उपकरणों की स्थापना एवं हैंडओवर के पश्चात संस्थान का संपती पर अधिकार नहीं रहेगा |

➢ श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा प्रदत्त एवं स्थापित उपकरणों के खराब होने पर वारंटी/गारंटी अवधि मे सप्लायर कंपनी के माध्यम से ठीक करवाने का प्रयास किया जाएगा लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं रहेगी |

➢ उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट का संचालन एवं सफल सम्पादन CSR के तहत पार्टनर कंपनियों एवं भामाशाहों के माध्यम से उपलब्ध फंड के आधार पर होगा |

नोटः— प्रथम पक्ष द्वारा जिन विद्यालयों में कार्य किया जायेगा। उनमे से कम से कम 20 विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शौचालय निर्माण/ शौचालय क्रियाशील सुनिश्चित करेंगे

और

द्वितीय पक्ष स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान की जिम्मेदारी निम्न होगी—

1. प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों मे उपकरणों की स्थापना के पश्चात बिजली तथा अन्य रखरखाव का खर्च की जिम्मेदारी संबधित विध्यालय / विभाग की रहेगी |
2. संस्था को कार्य करने बावत् सहयोग हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करना।

5. **वित्तीय शर्तें**—पक्षों के बीच वित्तीय व्यवस्था (वित्तीय शर्तें) के अनुसार होगी।

प्रथम पक्ष श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान हेतु -

1. वर्तमान वितीय वर्ष 2024-25, 2025-26 मे प्रोजेक्ट की लागत राशि 739.03 लाख रुपये है |
2. आगामी 3 वर्षो मे प्रोजेक्ट का प्रसार उपलब्ध फंड के आधार पर कर अनुमानित लागत राशि 2217.09 लाख होगी |

और

अध्यक्ष
श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान
जोताना जिला—बांसवाड़ा

द्वितीय पक्ष स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान हेतु पूर्णतः गैर वित्तीय होगा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार द्वितीय पक्ष द्वारा वहन नहीं किया जाएगा एवं व्यय की गई राशि का लेखा जोखा कार्य पूर्ण होने पर/बीच में मांगे जाने पर द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

और

द्वितीय पक्ष (स्कूल शिक्षा विभाग) – राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
यह सहमति पत्र द्वितीय पक्ष हेतु पूर्णतया गैर वित्तीय होगा। किसी प्रकार का वित्तीय भार द्वितीय पक्ष द्वारा वहन नहीं किया जावेगा एवं व्यय की गई राशि का विस्तृत लेखाजोखा कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा/बीच में मांगे जाने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6. गोपनीयता:– पक्ष इस सहयोग के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय रखेंगे।

7. संशोधन:–इस सहमति पत्र को केवल दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

8. समीक्षा और रिपोर्टिंग:– इस सहमति पत्र में वर्णित कार्यो की समय–समय पर स्कूल विभाग द्वारा समीक्षा की जा सकेगी।

9. समाप्ति:– यह सहमति पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा:

- सहयोग की अवधि की समाप्ति पर।
- किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में 30 दिन का नोटिस के उपरांत
- किसी भी पक्ष द्वारा इस सहमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर

10. विवाद समाधान–
किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से किया जाएगा।

11. कानूनी अधिकार क्षेत्र:– किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

12. अन्य:– संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तावित कार्ययोजनाओं में समान प्रकृति/समान कार्यक्षेत्र/समान विद्यालय पाये जाने की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य परियोजना निदेशक का होगा। पूर्व में किसी विद्यालय उपरोक्त डिजिटल सामग्री पूर्व में लगी है तो विद्यालय का चयन विभाग के अनुसार किया जावें।

अध्यक्ष
श्री शिक्षण एवं सेवा संस्थान
जोताना जिला–बांसवाड़ा

हस्ताक्षर

यह सहमति पत्र प्रथम पक्ष के निम्न गवाहों के मौजूदगी में बिना किसी दबाव के सोच समझ कर स्वस्थ मनोदशा में दो प्रतियों में तैयार करवाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रत्येक प्रति पृथक से तथा दोनों सम्मिलित रूप में एक ही मूल दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे–

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
अविचल चतुर्वेदी, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राज्य परियोजना निदेशक	अध्यक्ष नाम (कार्यकारी अधिकारी) पद पता सहित सील ... विकास एवं सेवा संस्थान ... जिला–बांसवाड़ा
गवाह	गवाह
नाम व पता (संजय कुमार शर्मा)	लक्ष्मी पत्नी उपाध्याय ... राजस्थान नाम व पता
गवाह	गवाह
नाम व पता स्नेहलता शर्मा	नाम व पता TUSHAR KALAL